पंचायत राज संस्थाओं की शिक्षा क्षेत्र में भूमिका सत्र की रूपरेखा

क्रम सं	उपविषय	उद्देश्य	प्रशिक्षण का तरीका	समयावधि
1	स्वागतपरिचय/	प्रतिभागियों का स्वागतपरिचय सत्र ., सत्र का विवरण		05 मिनट्स

क्रम सं	उपविषय	उद्देश्य	प्रशिक्षण का तरीका	समयावधि
1	स्वागतपरिचय/	प्रतिभागियों का स्वागतपरिचय सत्र ., सत्र का विवरण		05 मिनट्स

2	शिक्षा क्या है ?	शिक्षा के बारे में, सतत विकास लक्ष्य के रूप में शिक्षा के बारे में जानकारी, प्रासंगिकSDG सूचक भारत एवं राज्य की शिक्षा क्षेत्र में स्थिति,	पॉवर पॉइंट प्रस्तुतीकरण चर्च	10 मिनट्स
3	शिक्षा कार्यक्रमों की जानकारी	केंद्र एवं राज्य शासित सरकारी कार्यक्रम	पावर पॉइंट, व्याख्यानफिल्म/	20 मिनट्स
4	ग्राम पंचायत की शिक्षा क्षेत्र में भूमिका	शिक्षा क्षेत्र में पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम पंचायत व् ग्राम सभा की स्थाई समिति की भूमिका के बारे में जानकारी देना	समूह चर्चा और व्याख्यान के माध्यम से विषय की समझ विकसित करना	15 मिनट्स
5	शिक्षा क्षेत्र में ग्राम पंचायत की भूमिका पर समूह कार्य	केस स्टडी /फिल्म पर चर्चा	समूह बना कर एक ग्राम पंचायत हेतु कम लागत व् बिना लगत की शिक्षा की योजनाओं का चयन कर, GPDP अंतर्गत तैयार करनासमूह कार्य/समूह चर्चा	40 मिनट्स
6	शिक्षा के मुख्य बिंदु	मुख्य बिंदु याद रखें-	एक्शन points : ग्राम सभा व् ग्राम पंचायत की स्थाई समितियों को जिवंत बनाना, नियमित रूप से प्राथमिक विद्यालय एवं आंगनवाडी का निरिक्षण करना एवं रिकॉर्ड रख रखाव,	10 मिनट्स

- सर्वप्रथम प्रतिभागियों का स्वागत कर करेंगे और अपना परिचय देंगे,
- सभी प्रतिभागियों से उनका परिचय देने को कहेंगे ,

- प्रशिक्षण सत्र की रूपरेखा के बारे में सभी प्रभागियों को अवगत करायेंगे ,
- प्रशिक्षण के दौरान यदि प्रतिभागियों को समूह चर्चा में सक्रिय रूप से भागीदारी करने को कहें,
- यदि प्रशिक्षण के दौरन, प्रतिभागियों को प्रश्न पूछने के लिए उत्साहित करें और उनके विषय सम्बन्धी संदेह को दूर करेंगे |

उपविषय	उद्देश्य	प्रशिक्षण का तरीका	समयावधि
शिक्षा क्या है ?	शिक्षा के बारे में, सतत विकास लक्ष्य के रूप में शिक्षा के बारे में जानकारी, प्रासंगिकSDG सूचक	पॉवर पॉइंट प्रस्तुतीकरण चर्च	10 मिनट्स

1. शिक्षा :

मानव जीवन में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है क्यूंकि यह मनुष्य के लिए उन्नति का एक महत्वपूर्ण घटक है, नेल्सन मंडेला ने एक बार कहा था की **"शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है जिसके इस्तेमाल से सम्पूर्ण विश्व को बदल जा सकता है "**l यह देखा गया है की जिस देश के लोग और समाज जितने शिक्षित होते है, वह देश उतना अधिक शक्तिशाली होता हैl मनुष्य के जीवन की गुणवत्ता एवं उद्पदाकता का सीधा सम्बन्ध शिक्षा से होता है l

2. शिक्षा एक सतत विकास लक्ष्य :

मानव जीवन एवं समाज के सम्पूर्ण विकास हेतु शिक्षा को महत्व देते हुए इसे विकास के प्रत्येक पहलुओं में प्रमुख घटक माना गया है में न्यूयार्क में 2000 सितम्बर ,इसी परिप्रेक्ष्य में l आयोजित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में 189 ,देशों ने एक ऐसी दुनिया के लिए काम करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की जिसमें सतत विकास को बनाए रखने के लिए और गरीबी को खत्म करना सबसे अधिक प्राथमिकता देते हुए, शिक्षा को भी आठ सहस्राब्दी विकास लक्ष्य (एमडीजी) में शामिल किया गया l इसी क्रम में ,वर्तमान में विकास के परिप्रेस्क्ष्य में 25 सितम्बर 2015 को 150 देशों ने मिलकर , संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास सम्मेलन में 17 सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किये,जिन्हें 2030 तक प्राप्त किया जाना हैlइन्ही लक्ष्यों में से एक सतत विकास लक्ष्य 4 जो कि शिक्षा से सम्बंधित है जिसके अंतर्गत " विशेष रूप से, समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करने और सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देने की बात की गयी है ।

3. सतत विकास लक्ष्य 4 के संगत लक्ष्य : सतत विकास लक्ष्य 4 के संगत लक्ष्य निम्नांकित है :

1. 2030 तक सभी लड़कियों और लड़कों को मुक्त, न्यायसंगत और गुणवत्ता प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा प्रासंगिक, और लक्ष्य -4 के प्रभावी शिक्षण परिणाम को सुनिश्चित करें
2. 2030 तक सभी लड़कियों और लड़कों गुणवत्ता वाली पूर्व-शिक्षा, देखभाल व् बचपन के विकास तक पहुँच हो ताकि वे प्राथमिक शिक्षा के लिए तैयार हों
3. 2030 तक, विश्वविद्यालय सहित सस्ती और गुणवत्ता वाली तकनीकी, व्यावसायिक और तृतीयक शिक्षा के लिए सभी महिलाओं और पुरुषों के लिए समान पहुंच सुनिश्चित करें
4. 2030 तक, रोजगार, अच्छी नौकरी और उद्यमिता के लिए तकनीकी और व्यावसायिक कौशल सहित प्रासंगिक कौशल रखने वाले युवाओं और वयस्कों की संख्या में काफी वृद्धि करना

5. 2030 तक, शिक्षा में लैंगिक असमानताओं को खत्म करना और कमजोर लोगों के लिए शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के सभी स्तरों तक समान पहुँच सुनिश्चित करना, जिसमें विकलांग व्यक्ति, स्वदेशी लोग और कमजोर परिस्थितियों में बच्चे शामिल हैं।

6. 2030 तक, यह सुनिश्चित करें कि सभी युवा और वयस्कों, पुरुषों और महिलाओं दोनों का पर्याप्त अनुपात, साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करें

7. 2030 तक, सुनिश्चित करें कि सभी शिक्षार्थी सतत विकास को बढावा देने के लिए शिक्षा के माध्यम से आवश्यक ज्ञान और कौशल प्राप्त करें और सतत विकास एवं सतत जीवन शैली, मानव अधिकारों, लैंगिक समानता, शांति और अहिंसा वैश्विक नागरिकता को बढावा दे और सांस्कृतिक विविधता और सतत विकास के लिए संस्कृति के योगदान की सराहना करें

8. ऐसी शिक्षा सुविधाओं का निर्माण और उन्नयन जो बच्चे, विकलांगता और जेंडर सेंसिटिव (लिंग संवेदनशील) हों और सभी के लिए सुरक्षित, अहिंसक, समावेशी और प्रभावी शिक्षण वातावरण प्रदान करें

9. 2030 तक, विकासशील देशों में विशेष रूप से कम विकसित देशों, छोटे द्वीप विकासशील राज्यों और अफ्रीकी देशों में, छात्रवृत्ति की संख्या में पर्याप्त रूप से विस्तार किया गया है। विकसित देशों और अन्य विकासशील देशों में उच्च शिक्षा एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, तकनीकी, इंजीनियरिंग और वैज्ञानिक कार्यक्रमों में नामांकन
10. 2030 तक, विकासशील देशों, विशेष रूप से कम विकसित देशों और छोटे द्वीप विकासशील राज्यों में शिक्षक प्रशिक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सहित, योग्य शिक्षकों की आपूर्ति में पर्याप्त वृद्धि करना

उपर्युक्त लक्ष्यों में से 1,2,5 8 मुक्य रूप से प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत है, जो की पंचायत के कार्य क्षेत्र में आते हैं।

क्रम संख्या	संगत लक्ष्य
1	(1) 2030 तक सभी लड़कियों और लड़कों को मुक्त, न्यायसंगत और गुणवत्ता प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा प्रासंगिक, और लक्ष्य -4 के प्रभावी शिक्षण परिणाम को सुनिश्चित करें
2	(2) 2030 तक सभी लड़कियों और लड़कों गुणवत्ता वाली पूर्व-शिक्षा, देखभाल व् बचपन के विकास तक पहुँच हो ताकि वे प्राथमिक शिक्षा के लिए तैयार हों
3	(5) 2030 तक, शिक्षा में लैंगिक असमानताओं को खत्म करना और कमजोर लोगों के लिए शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के सभी स्तरों तक समान पहुँच सुनिश्चित करना, जिसमें विकलांग व्यक्ति, स्वदेशी लोग और कमजोर परिस्थितियों में बच्चे शामिल हैं।
4	(8)ऐसी शिक्षा सुविधाओं का निर्माण और उन्नयन जो बच्चे, विकलांगता और जेंडर सेंसिटिव (लिंग संवेदनशील) हों और सभी के लिए सुरक्षित, अहिंसक, समावेशी और प्रभावी शिक्षण वातावरण प्रदान करें

4. भारत में साक्षरता दर की स्थिति :

रैंक	भारत /राज्य /केंद्र शासित प्रदेश	साक्षरता दर (%) - 2011 जनगणना	पुरुष साक्षरता दर (%) - 2011 Census	स्त्री साक्षरता दर (%) - 2011 Census	साक्षरता दर (%) - 2001 Census	दशांश अंतर(pp)
1	केरल	93.91	96.02	91.98	90.86	3.05
2	लक्षद्वीप	92.28	96.11	88.25	86.66	5.62
3	मिजोरम	91.58	93.72	89.40	88.80	2.78
4	त्रिपुरा	87.75	92.18	83.15	73.19	14.56
5	गोवा	87.40	92.81	81.84	82.01	5.39
6	दमन एंड दीव	87.07	91.48	79.59	78.18	8.89
7	पुडूचेरी	86.55	92.12	81.22	81.24	5.31
8	चंडीगढ़	86.43	90.54	81.38	81.94	4.49
9	डेल्ही	86.34	91.03	80.93	81.67	4.67
10	अंदमान निकोबार	86.27	90.11	81.84	81.30	4.97
11	हिमाचल प्रदेश	83.78	90.83	76.60	76.48	7.30
12	महारष्ट्र	82.91	89.82	75.48	76.88	6.03

रैंक	भारत /राज्य /केंद्र शासित प्रदेश	साक्षरता दर (%) - 2011 जनगणना	पुरुष साक्षरता दर (%) - 2011 Census	स्त्री साक्षरता दर (%) - 2011 Census	साक्षरता दर (%) - 2001 Census	दशांश अंतर(pp)
13	सिक्किम	82.20	87.29	76.43	68.81	13.39
14	तमिलनाडु	80.33	86.81	73.86	73.45	6.88
15	नागालैंड	80.11	83.29	76.89	66.59	13.52
16	मणिपुर	79.85	86.49	73.17	69.93	9.92
17	उत्तराखंड	79.63	88.33	70.70	71.62	8.01
18	गुजरात	79.31	87.23	70.73	69.14	10.17
19	दादर नगर हवेली	77.65	86.46	65.93	57.63	20.02
20	पश्चिम बंगाल	77.08	82.67	71.16	68.64	8.44
21	पंजाब	76.68	81.48	71.34	69.65	7.03
22	हरियाना	76.64	85.38	66.77	67.91	8.73
23	कर्णाटक	75.60	82.85	68.13	66.64	8.96
24	मेघालय	75.48	77.17	73.78	62.56	12.92
		74.04	82.14	65.46	64.83	9.21
25	उड़ीसा	73.45	82.40	64.36	63.08	10.37
26	आसाम	73.18	78.81	67.27	63.25	9.93
27	छत्तीसगढ़	71.04	81.45	60.59	64.66	6.38
28	मध्य प्रदेश	70.63	80.53	60.02	63.74	6.89
29	उत्तर प्रदेश	69.72	79.24	59.26	56.27	13.45
30	जम्मू & कश्मीर	68.74	78.26	58.01	55.52	13.22
31	झारखंड	67.63	78.45	56.21	53.56	14.07
32	आंध्र प्रदेश	67.4	75.56	59.74	--	--
33	राजस्थान	67.06	80.51	52.66	60.41	6.65
34	अरुणाचल प्र देश	66.95	73.69	59.57	54.34	12.61
35	तेलंगाना	66.5	--	--	--	--
36		63.82	73.39	53.33	47.00	16.82

5. शिक्षा क्षेत्र में झारखंड की स्थिति :

4. भारत में प्राथमिक शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक :

- भारत में दूसरे देशों की तुलना में बाल श्रमिको की संख्या सबसे ज्यादा है.
- स्कूल से बाहर (ड्राप आउट)की संख्या सबसे ज्यादा. 100 में से 66 लड़कियां हैं.
- विकासशील देशों में देखे तो भारत में 40 % बच्चे कुपोषण के शिकार है.
- 0-6 आयु वर्ग में लड़कियों की घटती संख्या चिंता का विषय है क्यों कि 1000 लड़कों के मुकाबले केवल 927 लड़कियां हैं.
- भारत में 65 % लड़कियाँ 18 साल से भी कम उम्र में शादी करके माँ बन जाती है जो सोचनीय विषय है.
- यौन दुर्व्यवहार से पीड़ित 16 साल से कम उम्र के बच्चों की संख्या भारत में सर्वाधिक है।

शिक्षा के अधिकार के बारे में फिल्म दिखाई जाएगी : 10 मिनट्स

उपविषय	उद्देश्य	प्रशिक्षण का तरीका	समयावधि
शिक्षा कार्यक्रमों की जानकारी	भारत एवं राज्य की शिक्षा क्षेत्र में स्थिति, केंद्र एवं राज्य शासित सरकारी कार्यक्रम	पावर पॉइंट, व्याख्यानफिल्म/	20 मिनट्स

शिक्षा क्षेत्र विशेषकर प्राथमिक शिक्षा हेतु सरकारी कार्यक्रम

1. **शिक्षा का अधिकार एवं कानून :** भारत में शिक्षा हेतु किये गए नीतिगत प्रमुख पहल निमंलिखित है :
   - ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड (वर्ष 1987)
   - बिहार शिक्षा परियोजना (1991)
   - जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (1997)
   - सर्व शिक्षा अभियान (2001)
   - राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (2005)
   - मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार कानून (2009)
   - समग्र शिक्षा अभियान (2018)

सभी नीतिगत पहलों में मुख्य रूप से निम्नांकित बातो पर फोकस किया गया :
- प्रत्येक गाँव में विद्यालय का होना
- शिक्षकों की उपलब्धता
- शिक्षण सामग्रियों की उपलब्धता
- ६-१४ वर्ष के सभी बच्चों का विद्यालयों में नामांकन तथा ठहराव
- गुणवत्तापूर्ण शिक्षा

2. **fu%'kqYd vkSj vfuok;Z cky f'k{kk dk vf/kdkj vf/kfu;e] 2009:**

झारखंड सरकार द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमवाली 2011 को दिनांक 11 मई 2011 को लागू किया गया l

- 6-14 आयुवर्ग के बच्चों को उनके आसपास के विद्यालय में निः शुल्क और अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा (वर्ग 1 से 8 तक) पूर्ण करना उनका मौलिक अधिकार हैl
- शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत 6-14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए शत-प्रतिशत नामांकन, उपस्थिति एवं प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने तक विद्यालय में ठहराव बाध्यता है l
- वैसे बच्चे जिन्होंने प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण नहीं की हो, के लिए आयु अनुसार समुचित कक्षा में प्रवेश दिया जायेगा एवं उनके लिए विशेष प्रशिक्षण का प्रावधान है l
- निः शक्तता से ग्रस्त बच्चों को भी निः शुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है l
- विद्यालयों में बच्चों के नामांकन हेतु स्थानांतरण प्रमाण पत्र एवं आयु प्रमाण पत्र की तत्काल बाध्यता नहीं होगी l

- नामांकन हेतु बच्चों के माता –पिता एवं अभिभावकों की कोई भी परीक्षा एवं साक्षत्कार नहीं लिया जा सकेगा l
- विद्यालय यह सुनिश्चित करेंगे की कोई कैपिटेशन फीस न ली जायl
- किसी भी छात्र को शारीरिक दंड या मानसिक प्रताड़ना न दी जायl
- किसी भी छात्र को विद्यालय से निष्कासित न कियाl
- किसी भी छात्र को अनुत्तीर्ण न किया जाय l
- प्रवेश के लिए विस्तारित अवधि विद्यालय के शैक्षणिक वर्ष के प्रारंभ की तारीख से छः मास की होगी l
- **अनुदानित गैर सरकारी विद्यालयों में नामांकन –** वार्षिक वित्तीय अनुदान के अनुपात में कम से कम 25 अभिवंचित एवं कमज़ोर वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना होगा l
- **विशेष दर्जा एवं निजी क्षेत्र के विद्यालयों में नामांकन –**अपने विद्यालय की प्रथम कक्षा में कुल छत्र संख्या के कम से कम 25 सीट पर उस विद्यलय के आस पास (पोषक क्षेत्र) कमज़ोर एवं अभिवंचित वर्ग के बच्चों को नामांकित करेंगे तथा निः शुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध करायेंगे l सरकार द्वारा विद्यालय को अधिनियम के अनुरूप राशी उपलब्ध करायी जाएगी l

- निम्नलिखित दस्तावेजों में से किसी एक को विद्यालयों में प्रयोजन के लिए बालक की आयु का सबूत समझा जायेगा l
  क. अस्पताल या सहायक नर्स और दाई रजिस्टर अभिलेख
  ख. आंगनवाडी अभिलेख
  ग. माता- पिता अभिभावक द्वारा बालक की आयु की घोषणा

3. समग्र शिक्षा अभियान (2018)

केन्द्रीय बजट 2018-2019 में स्कूल शिक्षा को पूर्व तक के बिना 12 नर्सरी से लेकर कक्षा-विभाजन किये समग्र रूप से निर्धारित करने का प्रस्ताव किया गया हैसमग्र शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूल शिक्षा हेतु l प्रीवीं कक्षा तक विस्तारित 12 स्कूल से-कार्यक्रम, तैयार किया गया है। स्कूली शिक्षा में समान शिक्षण परिणामों हेतुशिक्षा हेतु समान अवसर उपलब्ध कराने तथा स्कूल , प्रभावशीलतामें सुधार के व्यापक लक्ष्य के साथ सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की तीन योजनाओं को सम्मिलित कर समग्र श (टीई) और शिक्षक शिक्षा (आरएमएसए)िक्षा अभियान चलाया जा रहा हैl

4. समग्र शिक्षा अभियान के प्रमुख बिंदु निम्नवत है :

i. शिक्षा के लिए समग्र दृष्टिकोण

- कक्षा एक से बारहवीं तक के स्कूल शिक्षा क्षेत्र के लिए एकल योजनासमर्थन करना
- पहली बार स्कूली शिक्षा के समर्थन में वरिष्ठ माध्यमिक स्तर और पूर्वविद्यालय स्तर का समावेश-

ii. प्रशासनिक सुधार

- सामंजस्यपूर्ण कार्यान्वयन के लिए अग्रणी एकल और एकीकृत प्रशासनिक संरचना
- योजना के तहत उनके हस्तक्षेप को प्राथमिकता देने के लिए राज्यों को लचीलापन
- एक एकीकृत प्रशासन 'स्कूल' को एक निरंतरता के रूप में देखता है

iii. शिक्षा के लिए उन्नत अनुदान

- बजट में बढोत्तरी
- गुणवत्ता सुधार के लिए किए गए सीखे गये परिणाम)लर्निंग आउटकम(और कदम योजना के तहत अनुदान के आवंटन का आधार होंगे।

iv. शिक्षा की गुणवत्ता पर जोर

- लर्निंग आउटकम के सुधार पर जोर
- शिक्षकों की क्षमता में वृद्धि
- सिस्टम में भावी शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार के लिए एससीईआरटी और डीआईईटी जैसे शिक्षक शिक्षा संस्थानों को मजबूत करने पर ध्यान दें
- एससीईआरटी इनप्रशिक्षण को गतिशील और - सर्विस शिक्षक प्रशिक्षण के लिए नोडल संस्थान है-सर्विस और प्री-आधारित बना देगा।-आवश्यकता
- गुणवत्ता शिक्षा पर मुख्य ध्यान ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में शिक्षकों के क्षमता निर्माण पर जोर देने के साथसाथ - शिक्षक शिक्षा संस्थानोंSCERT / DIET / BRC / CRC / CTE / IASEs को मजबूत करना।
- पुस्तकालयों की मजबूती के लिए प्रति विद्यालय वार्षिक अनुदान
- लगभग मिलियन 1 स्कूलों को पुस्तकालय अनुदान दिया जाना है।
- शिक्षक और तकनीक पर जोर देकर शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना
- संसाधनों के उन्मुख आवंटन पर जोर

v. डिजिटल शिक्षा पर जोर

- वर्ष की अवधि में सभी माध्यमिक 5विद्यालयों में ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड 'का उपयोग करने हेतु सहयोग , ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड शिक्षा में क्रांति लाएगा समझने में आसन होगा तथा ,प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षण कक्षाएँ समझने में आसान बन जाएँगी।
- स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल बोर्ड और डीटीएच चैनलों के माध्यम से शिक्षा में डिजिटल प्रौद्योगिकी का उन्नत उपयोग
- शाला कोष, शगुन, शाला सारथी जैसी डिजिटल पहलों को मजबूत किया जाना चाहिए
- उच्च प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्तर तक के स्कूलों में आईसीटी बुनियादी ढांचे को मजबूत करना।

- "DIKSHA", शिक्षकों के कौशल उन्नयन के लिए शिक्षकों के लिए डिजिटल पोर्टल का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाना है
- गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुंच और प्रावधान को बेहतर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उन्नत उपयोग -Sh सबको शिक्षा हासिल शिक्षा '

vi. विद्यालयों का सुदृढ़ीकरण

• गुणवत्ता में सुधार के लिए स्कूलों के समेकन पर जोर
• स्कूल तक सार्वभौमिक पहुंच के लिए I से VIII तक सभी वर्गों के बच्चों को उन्नत परिवहन सुविधा
• स्कूलों में बुनियादी ढांचे की मजबूती के लिए आवंटन में वृद्धि
• समग्र विद्यालय अनुदान बढ़ा और स्कूल नामांकन के आधार पर आवंटित किया गया।
• स्वच्छ गतिविधियों के लिए विशिष्ट प्रावधान -'स्वच्छ विद्यालय' का समर्थन
• सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता में सुधार

vii बालिका शिक्षा पर जोर

- लड़कियों का सशक्तीकरण
- कक्षा तक केजीबीवी का उन्नयन। 12-6 से कक्षा 8-6
- उच्च प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्तर तक की लड़कियों के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण-
- CWSN लड़कियों को कक्षा I से XII तक के लिए वजीफा दिया जाएगा। पहले केवल -IX से XII तक।
- बेटी बचाओ बेटी पढाओ अभियान के प्रति प्रतिबद्धता

viii समावेश पर जोर

- आरटीई अधिनियम के तहत वर्दी के लिए आवंटन प्रति बच्चा प्रति वर्ष बढ़ाया गया।
- आरटीई अधिनियम के तहत पाठ्यपुस्तकों के लिए आवंटन, प्रति बच्चे प्रति वर्ष बढ़ाया गया। सक्रिय पाठ्यपुस्तकों को पेश किया जाना है।
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए आबंटन रूपये 3000 से रुपये 3500 प्रति वर्ष प्रति बच्चा बढाया गया l विशेष आवश्यकता वाली लड़कियों के लिए रूपये 200 प्रति महीना वजीफा की सुविधा l

ix. कौशल विकास पर जोर

- उच्च प्राथमिक स्तर पर व्यावसायिक कौशल के एक्सपोजर को बढ़ाया जाएगा।
- पाठ्यक्रम के अभिन्न अंग के रूप में माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा को मजबूत करना
- व्यावसायिक शिक्षा जो कक्षा तक सीमित थी 12-9, को कक्षा से शुरू किया जाना था 6, क्योंकि इसे पाठ्यक्रम के साथ एकीकृत किया गया था और इसे अधिक व्यावहारिक और उद्योग उन्मुख बनाया गया था।
- 'कौशल विकास' पर जोर देना

x. खेल और शारीरिक शिक्षा पर जोर

- इस घटक के तहत सभी स्कूलों को खेल उपकरण प्रदान किए जाएंगे।
- खेल शिक्षा पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग होना
- प्रत्येक स्कूल स्कूल पाठ्यक्रम में खेल की प्रासंगिकता को बढ़ाने और जोर देने के लिए योजना के तहत खेल उपकरण प्राप्त करेगा
- खेलो इंडिया 'का समर्थन करें

xi. क्षेत्रीय संतुलन पर जोर

- संतुलित शैक्षिक विकास को बढ़ावा देना
- शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉक (ईबीबी), एलडब्ल्यूई, विशेष फोकस जिलों (एसएफडी), सीमावर्ती क्षेत्रों और 115 आकांक्षात्मक जिलों की पहचान नीतीयोग द्वारा की गई
- सबका साथ सबका विकास 'और सबको अच्छी शिक्षा

5. विद्यालय में शिक्षा हेतु विभिन्न प्रावधान

(i) विद्यालय कार्य दिवस /शैक्षणिक वर्ष

➢ शैक्षणिक वर्ष अप्रैल से मार्च माह निर्धारित है l

- प्राथमिक विद्यालय में (कक्षा 1-5) निर्धारित न्यूनतम कार्य दिवस /घंटे -200 दिवस /800 घंटे lउच्च प्राथमिक विद्यालय में (कक्षा 6-8) निर्धारित
- न्यूनतम कार्य दिवस /घंटे -220 दिवस /1000 घंटे है l

(ii) **आधारभूत सुविधाएँ:**

- विद्यालय में प्रत्येक शिक्षक के लिए एक वर्ग कक्ष और प्रधान
- शिक्षक सह कार्यलय हेतु 1 अतिरिक्त कमरे की व्यवस्था
- निः शक्त बच्चों की अबाधित पहुँच हेतु आवश्यक व्यवस्था
- छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग शौचालय l
- सभी बच्चों के लिए सुरक्षित एवं पर्याप्त पीने का पानी
- खेल का मैदान एवं सुरक्षा हेतु चाहरदीवारी अथवा घेराबंदी की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा l

(iii) छात्र-शिक्षक अनुपात

(प्राथमिक विद्यालय)

विवरण	बच्चों की संख्या	शिक्षकों की संख्या
वर्ग I-V	60 तक	02
	61 से 90 तक	03
	91 से 120 तक	04
	121 से 200 तक	05
	200 से अधिक	40:1
	150 से अधिक	01 प्रधान शिक्षक

प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 1-5 तक के लिए प्रति 30 बच्चों पर 01 शिक्षक (1:30)
छात्र –शिक्षक अनुपात (उच्च प्राथमिकविद्यालय)

वितरण	मानक एवं स्तर
वर्ग VI-VIII	प्रत्येक वर्ग के लिए न्यूनतम 01 शिक्षक (विज्ञान, समाज अध्ययन एवं भाषा के लिए 01-01 शिक्षक) 1:35 के अनुपात में अतिरिक्त शिक्षक छात्रों की संख्या 100 से अधिक है तों 1) 01 पूर्णकालीन प्रधान शिक्षक 2) अंशकालीन अनुदेशक (ललित कला, शारीरिक शिक्षा एवं कार्य शिक्षा)

प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 6-8 के लिए प्रति 35 बच्चों पर 01 शिक्षक (1:35)

(iv). अध्यापकों के उत्तरदायित्व

- विद्यलय में उपस्थित होने उत्तरदायित्व
- विद्यालय में उपस्थित होनें में नियमितता और समय पालन
- धरा 29 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार पाठ्यक्रम संचालित करना और उसे पूरा करना l
- विनिद्रष्ट समय के भीतर संपूर्ण पाठ्यक्रम पूरा करना l
- प्रत्येक बालक की शिक्षा ग्रहण करने के सामर्थ्य का निर्धारण करना और तदनुसार यथा अपेक्षित शिक्षण, यदि कोई हो जोड़ना l

- माता – पिता और संरक्षकों के साथ नियमित बैठकें करना और बालक के बारे में उपस्तिथि में नियमितता, शिक्षा ग्रहण करने का सामर्थ्य, शिक्षण में की गये प्रगति और किसी अन्य सुसंगत जानकारी के बारे में उन्हें अवगत कराना और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना, जो विहित किये जाएल
- प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना
- पाठ्यचर्चा निर्माण, पाठ्यक्रम विकास, पाठ्य पुस्तक विकास तथा माड्यूल में भाग लेना l

(v). विद्यालय प्रबंध समिति की संरचना और कार्य :

गैर -सहायता प्राप्त विद्यालयों को छोड़कर शेष सभी विद्यलयों में विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया जाना है एवं इसका क्रयकल 3 वर्षों का होगा l तीन वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर समिति का पुनर्गठन किया जाएगा l

(2) उक्त समिति में सदस्यों की संख्या 16 होगी जिसमें पचहत्तर प्रतिशत यथा 12 सदस्य सम्बंधित विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त कर रहे बालकों के माता पिता या अभिभावकों में से होंगे l

(3) उक्त समिति की सदस्य संख्या का शेष पच्चीस प्रतिशत यथा 04 निन्म्वत होंगे –

(क) स्थानीय प्राधिकार के एक निर्वाचित सदस्य
(ख) विद्यलय का एक शिक्षक, जिसका चयन विद्यालय के शिक्षकों द्वारा किया जायेगा
(ग) विद्यालय की बाल संसद के एक प्रतिनिधि
(घ) विद्यालय के प्रधानध्यापक/प्रधान शिक्षक /वरिष्ठतम शिक्षक

(4) उक्त समिति माता-पिता सदस्यों में से एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष का चयन करेगी l विद्यालय के प्रधानाद्यपक /प्रधान शिक्षक / वरिष्ठतम शिक्षक प्रबंध समिति के पदेन सदस्य संयोजक होंगे l

(5) उक्त समिति की प्रत्येक माह में कम से कम एक बैठक होगी l

बैठकों की कार्यवाही उक्त समिति के सदस्य संयोजक द्वारा विधिवत संधारित की जाएगी l कार्यवाही पंजी आम जनता के अवलोकन हेतु विद्यालय में उपलब्ध रहेगी

(vi) विद्यालय प्रबंध समिति, अधिनियम में उल्लेखित कार्यों के अतिरिक्त निम्न कार्यों को निर्वहन करेगी-

(क) अधिनियम में उल्लेखित बालक के अधिकारों एवं केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकार, विद्यालय माता –पिता तथा अभिभावकोण के कर्तव्यों के सम्बन्ध में विद्यालय के आसपास कि जनता को सरल ढंग से बताएगी l

(ख) नियमित रूप से विद्यालय के सञ्चालन व् बच्चों की उपस्तिथि हेतु माता-पिता एवं अभिभावकों तथा शिक्षकों के साथ बैठक करना व् शिक्षकों के निजी ट्यूशन पर रोक लगाना l

(ग) शिक्षकों पर गैर शैक्षणिक कर्तव्यों का भर नहीं डाला जाय, का ध्यान रखना

(घ) विद्यालय में आसपास के सभी बालकों का नामांकन और नियमित उपस्थिति को सुनिश्चित करेगी

(ड) अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप मानकों को विद्यालय में बनाये रखने हेतु आवश्यक कार्रवाई करेगी

(च) बालक के अधिकारों में किसी प्रकार का हनन होने पर समिति इसको स्थानीय प्राधिकार की जानकारी में लाएगी

(छ) विद्यालय विअक्स हेतु विद्यालय विकास योजना का निर्माण करेगी l

(ज) निः शक्तता ग्रस्त बालकों की पहचान कर उनका नामांकन करवाने तथा उनको शिक्षा की सुविधाओं का अनुश्रवण करने और उनकी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करवाने का कार्य सुनिश्चित करेगी l

(झ) विद्यालयों में मध्याहन भोजन योजना का समुचित रूप से कार्यान्वयन करवाएगी एवं योजना के सभी पहलुओं का अनुश्रवण करेगी l

- विद्यालयों की प्राप्तियों और व्यय का वार्षिक लेखा तैयार करेगी l
- विद्यालय विकास योजनां पर विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और संयोजक द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे और उसे उस वित्तीय वर्ष के जिसमें उसे तैयार किया जाता है ,अंत में पूर्व स्थानीय प्राधिकार को प्रस्तुत किया जायेगा l

उपविषय	उद्देश्य	प्रशिक्षण का तरीका	समयावधि
ग्राम पंचायत की शिक्षा क्षेत्र में भूमिका	शिक्षा क्षेत्र में पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम पंचायत व् ग्राम सभा की स्थाई समिति की भूमिका के बारे में जानकारी देना	समूह चर्चा और व्याख्यान के माध्यम से विषय की समझ विकसित करना	15 मिनट्स

1. शिक्षा के क्षेत्र में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका :

संविधान के 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के लिए वर्णित विषयों के अनुरूप झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम 2001 की अनुसूची – 1 में पंचायती राज संस्थाओं को दिये गये प्रक्षेत्रों में ***शिक्षा ,जिसके अंतर्गत प्राथमिक एवं माध्यमिक विधालय भी है, तकनीकी प्रशिक्षण एवं व्यसायिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा*** भी है I

साथ ही झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम 2001 की धारा 75 के तहत पंचायतों के कृत्य की विस्तृत विवरणी दी गई है I जिसके अनुसार ग्राम पंचायतों को शिक्षा के निम्नलिखित प्रक्षेत्रों में कार्य किया जाना है I

ग्राम पंचायतों को प्राथमिक एवं माध्यमिक विधालयों सहित शिक्षा –

- लोगों में जाग्रति उत्पन्न करना और प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा में सहभागिता
- प्राथमिक विधालयों में पूर्ण नामांकन एवं उपस्थिति सुनिश्चित करना तथा उनका प्रबंधन
- शिक्षा गारंटी की व्यवस्था करना
- माध्यमिक विधालय का प्रबन्धन
- व्यस्क एवं अनोपचारिक शिक्षा – व्यस्क साक्षरता को बढ़ाने हेतु कार्यक्रम का संचालन

तकनीकी एवं व्यसायिक शिक्षा – ग्रामीण कला और शिल्पकारों का चयन करना एवं उन्हें प्रशिक्ष्ण उपलब्ध कराना

ग्राम पंचायतों को अपने शिक्षा संबंधी उत्तरदायित्वों के निर्वहन के लिए ग्राम पंचायत एवं ग्राम सभा स्तर पर स्थायी समितियों के गठन का भी प्रावधान है, जो ग्राम ग्राम पंचायतों को शिक्षा संबंधी कार्यों एवं उत्तरदायित्वों के संपादन एवं निर्वहन में सहयोग करेंगे I

झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम 2001 के तत्संगत मानव संसाधन विकास विभाग (प्राथमिक शिक्षा निदेशालय) झारखण्ड सरकार द्वारा वर्ष 2013 में पंचायती राज संस्थाओं द्वारा संपादित किये जाने वाले गतिविधियों के संबंध में संकल्प एवं प्रशासकीय आदेश निर्गत किया गया I

प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के संकल्प एवं प्रशासकीय आदेश के आलोक में ग्राम पंचायतों द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख प्रत्याजोयित कार्य :

- ✓ 6-14 वर्ष के सभी बच्चों का ग्राम शिक्षा रजिस्टर तैयार करना एवं प्रत्येक वर्ष अधतन करना I
- ✓ सर्व शिक्षा अभियान (वर्तमान में समग्र शिक्षा अभियान) एवं साक्षरता कार्यक्रम के लिए ग्राम सभाओं का आयोजन करना I
- ✓ ग्राम पंचायत विधालय प्रबंध समिति की भागीदारी से सर्व शिक्षा अभियान का योजना तैयार करना I
- ✓ ग्राम पंचायत क्षेत्र के सभी बच्चों का नामांकन सुनिश्चित करना I
- ✓ सभी नामांकित बच्चों का शत प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करना I
- ✓ सभी नामांकित बच्चों का प्राथमिक विधालय में ठहराव सुनिश्चित करना I
- ✓ सभी नामांकित बच्चों का प्राथमिक शिक्षा पूरा होना सुनिश्चित करना I
- ✓ प्राथमिक शिक्षा को बीच में ही छोड़ देने की घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाना I
- ✓ अभिभावकों, विधालय प्रबंध समिति के सदस्यों एवं शिक्षकों के बैठक आयोजित करना
- ✓ जन संपर्क अभियान का आयोजन करना I
- ✓ प्राथमिक विधालयों के शिक्षकों (पारा शिक्षक सहित) की नियमित उपस्थिति का अनुश्रवण करना I
- ✓ सर्व शिक्षा अभियान एवं साक्षरता कार्यक्रम का सामजिक अंकेक्षण सुनिश्चित करना I
- ✓ विभागीय नियम के अलोक में विधालय प्रबंध समिति के सहयोग से छात्रवृति के लिए बच्चों का चयन करना I
- ✓ बच्चों के बीच छात्रवृति, पाठ्य पुस्तक तथा पोशाक का वितरण सुनिश्चित करना I
- ✓ मध्याह्न भोजन बनाने और वितरण का पर्यवेक्षण करना I
- ✓ सभी नामांकित बच्चों गुणवतापूर्ण भोजन प्रत्येक कार्य दिवस में उपलब्धता सुनिश्चित करना I
- ✓ ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्थित विधालयों के सभी बच्चों का बैंक खाता खोलने एवं आधार से जोड़ने में सहयोग करना I
- ✓ ग्राम पंचायत स्तर पर विधालयों का एक रजिस्टर संधारित करना I

- ✓ विधालयों के रजिस्टर का अनुरक्षण करना I
- ✓ विधालय रजिस्टर में प्राथमिक / मध्य विधालय के मानव संसाधन का डेटाबेस तैयार करना I
- ✓ विधालय रजिस्टर में प्राथमिक एवं मध्य विधालय में उपलब्ध सुविधाओं का डेटाबेस संधारित करना I
- ✓ नये प्राथमिक विधालयों के लिए भूमि का चयन करना I
- ✓ विधालय प्रबंध समिति के सहयोग से नये भवन का निर्माण करना I
- ✓ निर्मित विधालय भवनों का संरक्षण करना I
- ✓ विधालयों का निरिक्षण करना एवं निरीक्षण टिप्पणी विधालय प्रबंधन समिति को उपलब्ध कराना I

(नोट : 2018 से सर्व शिक्षा अभियान व् अन्य शिक्षा की योजनाओं को सम्मिलित कर समग्र शिक्षा अभियान कार्यक्रम, केंद्र सरकार की ओर से चलाया जा रहा है)

ग्राम पंचायतों को शिक्षा के प्रक्षेत्र में प्रत्याजोयित कार्यों में ग्राम पंचायत एवं ग्राम सभा के स्थायी समितियों से अपेक्षित सहयोग :

उपर्युक्त प्रायोजित शक्तियों के आधार पर ग्राम पंचायत व् ग्रामसभा की स्थाई समितियां निम्न प्रकार से कार्य कर सकती है :

1. 6-14 वर्ष के सभी बच्चों का ग्राम शिक्षा रजिस्टर तैयार करना एवं प्रत्येक वर्ष अधतन करना I

ग्राम पंचायत के स्थायी समिति से अपेक्षित सहयोग

- ✓ प्रत्येक वर्ष ग्राम पंचायत की स्थायी समिति विभिन्न ग्राम सभाओं से प्राप्त आंकड़ो को वर्षवार संकलित कर ग्राम पंचायत के समक्ष रखेगी I
- ✓ ग्राम पंचायत की स्थायी समिति 6-14 वर्ष के बच्चों की संख्या के समेकन के लिए निम्नलिखित प्रारूप का प्रयोग कर सकती है I

ग्राम सभा / राजस्व गाँव का नाम	कुल परिवारों की संख्या	6-14 वर्ष के बच्चों की संख्या		
		लड़का	लड़की	कुल

ग्राम सभा के स्थायी समिति से अपेक्षित सहयोग

- ✓ ग्राम सभा की स्थायी समिति अपने क्षेत्र में 6-14 वर्ष के बच्चों की सूची तैयार कर प्रत्येक वर्ष ग्राम सभा के माध्यम से ग्राम पंचायत को उपलब्ध करायेगी I
- ✓ ग्राम सभा की स्थायी समिति द्वारा 6-14 वर्ष के बच्चों की संख्या की गणना के लिए निम्नलिखित प्रारूप का प्रयोग किया जा सकता है I

क्र०सं०	परिवार के मुखिया का नाम	6-14 वर्ष के बच्चों की संख्या		
		लड़का	लड़की	कुल

2. सर्व शिक्षा अभियान एवं साक्षरता कार्यक्रम के लिए ग्राम सभाओं का आयोजन करना एवं ग्राम पंचायत विधालय प्रबंध समिति की भागीदारी से सर्व शिक्षा अभियान का योजना तैयार करना I

ग्राम पंचायत के स्थायी समिति से अपेक्षित सहयोग

- ✓ प्रत्येक वर्ष ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्तिथ ग्राम सभाओं द्वारा शिक्षा विषय पर आयोजित ग्राम सभा के निर्णय को संकलित कर ग्राम पंचायत के समक्ष रखना I
- ✓ ग्राम सभा द्वारा प्राप्त सर्व शिक्षा अभियान संबंधी योजना को समेकित करना और ग्राम पंचायत के समक्ष रखना I
- ✓ ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्तिथ स्कूलों के स्कूल मैनेजमेंट समिति के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत नियोजित गतिविधियों के ससमय क्रियान्वयन का अनुश्रवण करना I

ग्राम सभा के स्थायी समिति से अपेक्षित सहयोग

- ✓ प्रत्येक वर्ष सर्व शिक्षा अभियान की विस्तृत योजना निर्माण के लिए आयोजित ग्राम सभा के लिए एजेंडा निर्धारित करना
- ✓ प्रत्येक वर्ष ग्राम सभा में शिक्षा के योजना निर्माण के लिए आयोजित ग्राम सभा में ग्राम सभा क्षेत्र के प्राथमिक / माध्यमिक शिक्षा की स्थिति का प्रतिवेदण प्रस्तुत करना
- ✓ ग्राम सभा में सभी जातियों, वर्गों एवं समुदायों की सहभागिता सुनिश्चित करना
- ✓ ग्राम सभा में सभी जातियों, वर्गों एवं समुदायों के शिक्षा संबंधी समस्याओं के विचार विमर्श के लिए सहज वातावरण बनाना और व्यापक विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना I

	✓ ग्राम सभा के लिए गये निर्णय से ग्राम पंचायत, संबंधित स्कूल मैनेजमेंट समिति एवं स्कूल के प्रधानध्यापक को सूचित करना I ✓ ग्राम सभा के लिए गये निर्णय के अनुपालन के लिए ग्राम सभा के माध्यम या ग्राम सभा की अनुमति से स्कूल मैनेजमेंट कमिटी एवं स्कूल के प्रधानध्यापक के साथ नियमित बैठक आयोजित करना I ✓ ग्राम सभा क्षेत्र में स्तिथ स्कूल के लिए सर्व शिक्षा अभियान में संबंधित क्षेत्र के शिक्षा संबंधी विषयों को शामिल करने के लिए ग्राम सभा के माध्यम से स्कूल प्रबंध समिति को सुझाव देना I

3. ग्राम पंचायत क्षेत्र के सभी बच्चों का नामांकन सुनिश्चित करना I	
ग्राम पंचायत के स्थायी समिति से अपेक्षित सहयोग	ग्राम सभा के स्थायी समिति से अपेक्षित सहयोग
✓ सभी बच्चों के नामांकन के लिए पंचायत स्तर पर जन संपर्क अभियान का आयोजन करना ✓ ग्राम सभा स्कूल जाने योग्य बच्चों की सूची तैयार करना I ✓ वैसे पॉकेट / ग्राम सभा की पहचान करना जहाँ नामांकन में कठिनाई हो रही हो या शत प्रतिशत नामांकन नहीं हो रहा है I ✓ वैसे पॉकेट / ग्राम सभा जहाँ नामांकन में कठिनाई है या शत प्रतिशत नामांकन नहीं है, वहां विशेष कार्यक्रम आयोजित करने में स्कूल प्रबंध समिति एवं ग्राम सभा को सहयोग कर शत प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करना I ✓ शत प्रतिशत नामांकन हेतु सरकार द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रम में पंचायत स्तर की गतिविधियों में सहयोग करना I	✓ सभी बच्चों के नामांकन के लिए ग्राम सभा स्तर पर जन संपर्क अभियान का आयोजन करना ✓ ग्राम सभा क्षेत्र स्कूल जाने वाले छात्रों का सूची तैयार कर सभी के नामांकन के लिया ग्राम सभा आयोजन में सहयोग करना I ✓ स्कूल जाने योग्य बच्चों के अभिभावकों के साथ बैठक कर नामांकन सुनिश्चित करना I ✓ नामांकन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सहयोग एवं ससमय कार्यक्रम आयोजन का अनुश्रवण करना I

4. सभी नामांकित बच्चों का शत प्रतिशत उपस्थिति, ठहराव एवं प्राथमिक शिक्षा पूरा होना सुनिश्चित करना I	
ग्राम पंचायत के स्थायी समिति से अपेक्षित सहयोग	ग्राम सभा के स्थायी समिति से अपेक्षित सहयोग
✓ नामांकित बच्चों की उपस्थिति का स्कूल वार एवं ग्राम सभा वार मासिक व्योरा तैयार कर ग्राम पंचायत को संसूचित करना I ✓ उपस्थिति में दिक्कत / कठिनाई वाले स्कूल के स्कूल के प्रबंध समिति के साथ या स्कूल के प्रधानध्याप्क के साथ बैठक कर उपस्तिथि सुनिश्चित करने के उपाय करना I ✓ शत प्रतिशत उपस्थित रहने वाले बच्चों और उनके अभिभावकों को ग्राम पंचायत स्तर पर सम्मानित करने के ग्राम पंचायत को सहयोग करना	✓ ग्राम सभा क्षेत्र में स्तिथ स्कूल में उपस्तिथि संबंधी जानकारी एकत्रित करना एवं ग्राम के समक्ष रखना ✓ ग्राम सभा क्षेत्र से अनियमित उपस्थति रहने वाले बच्चों के परिवारों के साथ बैठक कर वैसे बच्चों की उपस्थित सुनिश्चित करना I ✓ शत प्रतिशत उपस्थित रहने वाले बच्चों और उनके अभिभावकों को ग्राम में सम्मानित करने के ग्राम सभा को सहयोग करना

5. प्राथमिक शिक्षा को बीच में ही छोड़ देने की घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाना I	
ग्राम पंचायत के स्थायी समिति से अपेक्षित सहयोग	ग्राम सभा के स्थायी समिति से अपेक्षित सहयोग
✓ प्राथमिक शिक्षा को बीच में ही छोड़ देने वाले बच्चों का ग्राम	✓ ग्राम सभा क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा को बीच में ही

सभा वार व्योरा तैयार कर ग्राम पंचायत को संसूचित करना I ✓ ग्राम पंचायत क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा को बीच में ही छोड़ देने वाले बच्चों ग्राम सभावार सूची / जानकारी एकत्रित कर ग्राम पंचायत के माध्यम से वैसे बच्चों की शिक्षा पुन: शुरू कराने के लिए ग्राम सभा एवं शिक्षा विभाग के पदाधिकारीयों / कर्मियों को सहयोग करना एवं उसका अनुश्रवण करना I	छोड़ देने वाले बच्चों की सूची तैयार एवं संबंधी जानकारी एकत्रित करना एवं ग्राम के समक्ष रखना ✓ ग्राम सभा क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा को बीच में ही छोड़ देने वाले बच्चों के परिवारों के साथ बैठक कर वैसे बच्चों की शिक्षा पुन: शुरू कराने के लिए कदम उठाना I

6. प्राथमिक विधालयों के शिक्षकों (पारा शिक्षक सहित) की नियमित उपस्थिति का अनुश्रवण करना I	
ग्राम पंचायत के स्थायी समिति से अपेक्षित सहयोग	ग्राम सभा के स्थायी समिति से अपेक्षित सहयोग
✓ ग्राम पंचायत क्षेत्र में अवस्तिथ प्राथमिक विधालयों के शिक्षकों (पारा शिक्षक सहित) की नियमित उपस्थिति संबंधी प्रतिवेदन का ग्राम सभा वार समेकन कर संबंधित विभाग के साथ साझा करना I ✓ अनियमित उपस्थिति वाले शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभाग के साथ बैठक कर उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए कारवाई करना I	✓ अभिभावकों, विधालय प्रबंध समिति के सदस्यों एवं शिक्षकों के साथ स्कूल स्तरीय बैठक आयोजित करना I ✓ प्राथमिक विधालयों के शिक्षकों (पारा शिक्षक सहित) की नियमित उपस्थिति का अनुश्रवण करना I ✓ अनियमित उपस्थिति वाले शिक्षकों के संबंध में स्कूल प्रबन्धन समिति के साथ विशेष चर्चा करना I ✓ अनियमित उपस्थिति वाले शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए स्कूल प्रबन्धन समिति के मिल कर कारवाई करना I

7. सर्व शिक्षा अभियान एवं साक्षरता कार्यक्रम का सामजिक अंकेक्षण सुनिश्चित करना I	
ग्राम पंचायत के स्थायी समिति से अपेक्षित सहयोग	ग्राम सभा के स्थायी समिति से अपेक्षित सहयोग
✓ सर्व शिक्षा अभियान एवं साक्षरता कार्यक्रम का सामजिक अंकेक्षण के लिए जिला के DRP / BRP के साथ ग्राम सभावार कार्यक्रम बनाना I ✓ सर्व शिक्षा अभियान एवं साक्षरता कार्यक्रम का सामजिक अंकेक्षण के लिए ग्राम सभावार कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए ग्राम सभा एवं जिला के DRP / BRP को आवश्यक सुचना उपलब्ध कराना I ✓ प्रत्येक ग्राम में सर्व शिक्षा अभियान एवं साक्षरता कार्यक्रम का सामजिक अंकेक्षण सुनिश्चित किया जाना I ✓ सर्व शिक्षा अभियान एवं साक्षरता कार्यक्रम का सामजिक अंकेक्षण के प्रतिवेदन / टिप्पणी पर कारवाई संबंधित विभाग के माध्यम से सुनिश्चित करना I	✓ सर्व शिक्षा अभियान एवं साक्षरता कार्यक्रम का सामजिक अंकेक्षण के लिए सभी आवश्यक सुचना संकलन / उपलब्ध कराने में सामाजिक अंकेक्षण दल के साथ काम करना ✓ सर्व शिक्षा अभियान एवं साक्षरता कार्यक्रम का सामजिक अंकेक्षण में अधिक अधिक ग्राम सभा के सदस्यों की सहभागिता सुनिश्चित करना I ✓ सर्व शिक्षा अभियान एवं साक्षरता कार्यक्रम का सामजिक अंकेक्षण के प्रतिवेदन / टिप्पणी पर कारवाई का अनुश्रवण करना I

8. विभागीय नियम के अलोक में विधालय प्रबंध समिति के सहयोग से छात्रवृति , पाठ्य पुस्तक तथा पोशाक के लिए बच्चों का चयन एवं वितरण करना I	
ग्राम पंचायत के स्थायी समिति से अपेक्षित सहयोग	ग्राम सभा के स्थायी समिति से अपेक्षित सहयोग
✓ विभागीय नियम के अलोक में विधालय प्रबंध समिति के सहयोग से छात्रवृति , पाठ्य पुस्तक तथा पोशाक के लिए योग्य बच्चों, जिनको लाभ नहीं मिल रहा है की सूची ग्राम सभावार / स्कूल वार समेकित कर विभाग के साथ मिल कर लाभ सुनिश्चित करना I	✓ विभागीय नियम के अलोक में विधालय प्रबंध समिति के सहयोग से छात्रवृति , पाठ्य पुस्तक तथा पोशाक के लिए योग्य बच्चों, जिनको लाभ नहीं मिल रहा है की सूची ग्राम सभा के माध्यम से ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराना I

9. ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्थित विधालयों के सभी बच्चों का बैंक खाता खोलने एवं आधार से जोड़ने में सहयोग करना I	
ग्राम पंचायत के स्थायी समिति से अपेक्षित सहयोग	ग्राम सभा के स्थायी समिति से अपेक्षित सहयोग
✓ ग्राम सभा वार स्कूल में नामांकित बच्चों जिनका आधार	✓ ग्राम सभा क्षेत्र के प्रत्येक स्कूल में नामांकित बच्चों

कार्ड एवं बैंक खाता नहीं खुला है की सुचना संकलित करना I ✓ नामांकित बच्चों का आधार कार्ड एवं बैंक खाता खुलवाने के यदि आवश्यकता हो तो बैंक / प्रज्ञा केंद्र के साथ मिल कैंप का आयोजन करना I	जिनका आधार कार्ड एवं बैंक खाता नहीं खुला है की सूची बनाकर ग्राम सभा के माध्यम से ग्राम पंचायत को सूचित करना I

10. ग्राम पंचायत स्तर पर विधालयों का एक रजिस्टर संधारित करना I	
ग्राम पंचायत के स्थायी समिति से अपेक्षित सहयोग	ग्राम सभा के स्थायी समिति से अपेक्षित सहयोग
✓ ग्राम सभा से विधालय रजिस्टर के लिए प्राप्त सूचनाओं को अधतन करने में ग्राम पंचायत को सहयोग करना - विधालय रजिस्टर में प्राथमिक / मध्य विधालय के मानव संसाधन का डेटाबेस तैयार करना I - सुविधाओं से संबंधित सूचनाओं का समेकन कर ग्राम पंचायत को समक्ष रखना I - सुविधाओं की अभाव / कमी वाले विधालयों की पहचान कर सुविधाओं में सुधार के लिए ग्राम पंचायत के माध्यम से आवश्यक करवाई करना I	✓ ग्राम पंचायत के विधालय रजिस्टर के लिए आवश्यक सूचनाओं का संकलन कर ग्राम सभा के माध्यम से ग्राम पंचायत को उपलब्ध करना I - विधालय रजिस्टर में प्राथमिक / मध्य विधालय के लिए शिक्षकों के Sanction पदों (पारा शिक्षक सहित) एवं पदस्थापित शिक्षकों की संख्या स्कूल वार संकलित कर ग्राम सभा के माध्यम से ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराना I - शिक्षकों की कमी वाले विधालयों की पहचान कर उसकी सूची ग्राम सभा के माध्यम से ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराना I - स्कूलों में उपलब्ध सुविधाओं जैसे शुद्ध पेयजल की व्यवस्था , लड़के एवं लड़कियों के लिए अलग अलग शौचालय की व्यवस्था, लाइब्रेरी की व्यवस्था, स्कूल में खेल के मैदान की व्यवस्था, स्कूल में खेलकूद संबंधी उपकरणों और सामानों की व्यवस्था, स्कूल के बाउंड्रीवाल और सुरक्षा की व्यवस्था एवं अन्य संबंधित जानकारी स्कूलवार एकत्रित कर ग्राम सभा के माध्यम से ग्राम पंचायत को सूचित करना - सुविधाओं की अभाव / कमी वाले विधालयों की पहचान कर सुविधाओं में सुधार के लिए ग्राम सभा के माध्यम से ग्राम पंचायत को आवश्यक करवाई करने के लिए प्रेषित करना I

11. नये प्राथमिक विधालयों के लिए भूमि का चयन करना, विधालय प्रबंध समिति के सहयोग से नये भवन का निर्माण करना एवं निर्मित विधालय भवनों का संरक्षण करना I	
ग्राम पंचायत के स्थायी समिति से अपेक्षित सहयोग	ग्राम सभा के स्थायी समिति से अपेक्षित सहयोग
✓ वार्षिक या वास्तविकता के पर नये प्राथमिक विधालयों के भूमि चयन की प्रक्रिया ससमय सुनिश्चित करने में ग्राम सभा को सहयोग करना एवं पुरे प्रक्रिया का अनुश्रवण करना |	नये विधालय प्रारंभ करने के लिए योजना स्वीकृत होने के पश्चात नये प्राथमिक विधालयों के भूमि का चयन करने में उचित स्थल के चुनाव हेतु ग्राम सभा को सलाह देना एवं सर्वश्रेष्ठ स्थान का चयन सुनिश्चित करना |
❋ ग्राम पंचायत क्षेत्रं में निर्माणाधीन विधालय भवनों के निर्माण कार्य एवं प्रगति का मासिक अनुश्रवण करना | ❋ विधालय भवन निर्माण ससमय पूरा करने में विधालय प्रबन्धन समिति को सहयोग करना एवं विधालय प्रबन्धन समिति के साथ मिल निर्माण की गुणवता सुनिश्चित करना |	❋ ग्राम सभा क्षेत्रं में निर्माणाधीन विधालय भवनों के निर्माण कार्य में विधालय प्रबंध समिति एवं संबंधित स्कूल के प्रधानध्यापक को सहयोग करना, ❋ ग्राम सभा क्षेत्रं में निर्माणाधीन विधालय भवनों के निर्माण कार्य की प्रगति के मासिक अनुश्रवण के लिए विधालय प्रबंध समिति एवं संबंधित स्कूल के प्रधानध्यापक के साथ बैठक करना I

	❋ विधालय निर्माण कार्य की प्रगति का प्रतिवेदन ग्राम सभा के माध्यम से ग्राम पंचायत को प्रेषित करना I

12. विधालयों का निरिक्षण करना एवं निरीक्षण टिप्पणी विधालय प्रबंधन समिति को उपलब्ध कराना |	
ग्राम पंचायत के स्थायी समिति से अपेक्षित सहयोग	ग्राम सभा के स्थायी समिति से अपेक्षित सहयोग
1. ग्राम सभाओं द्वारा विधालयों के निरीक्षण प्रतिवेदन एवं टिप्पणी का त्रैमासिक समेकन कर उचित करवाई हेतु संबंधित पदाधिकारीयों / कर्मियों के साथ बैठक करना I	2. प्रत्येक माह में ग्राम सभा क्षेत्र में अवस्थित स्कूलों का निरिक्षण कर ग्राम सभा के माध्यम से निरीक्षण प्रतिवेदन एवं टिप्पणी ग्राम पंचायत को प्रेषित करना I 3. स्कूलों के निरीक्षण प्रतिवेदन एवं टिप्पणी के अनुपालन का त्रैमासिक मुल्यांकन कर ग्राम इससे संबंधित प्रतिवेदन ग्राम पंचायत को प्रेषित करना I

उपविषय	उद्देश्य	प्रशिक्षण का तरीका	समयावधि
शिक्षा क्षेत्र में ग्राम पंचायत की भूमिका पर समूह कार्य	केस स्टडी /फिल्म पर चर्चा	समूह बना कर एक ग्राम पंचायत हेतु कम लागत व् बिना लगत की शिक्षा की योजनाओं का चयन कर, GPDP अंतर्गत योजन तैयार करनासमूह कार्य/समूह चर्चा	40 मिनट्स

समूह कार्य

- सभी प्रतिभागियों के कुल संख्या के आधार पर 5-6 लोगो का एक एक समूह बनायें,
- प्रत्येक समूह को अपना समूह अध्यक्ष चुनने को कहे,
- प्रत्येक समूह को शिक्षा क्षेत्र हेतु कम लागत और बिना लागत की योजनाओं का चयन कर , उसके क्रियान्वित करने हेतु गतिविधियों की सूची बनाये,
- शिक्षा योजना को प्रारूप के आधार पर तैयार करेंl प्रारूप की कॉपी समूह को दे जा सकती है,
- बाद में समूह चर्चा के पश्चात् समूह अध्यक्ष द्वारा एक एक कर प्रस्तुतीकरण दिया जायेगा l

ग्राम पंचायत विकास योजना अंतर्गत चयनित कम लागत /बिना लागत की योजना

जिला का नाम ..... प्रखंड का नाम ..... ग्राम पंचायत का नाम .....

क्रम संख्या	प्रस्तावित कार्य	प्रस्तावित स्थल	गतिविधियाँ	संभावित लाभार्थियों की संख्या	अनुमानित लागत
1	बच्चों के स्कूल ड्राप आउट रेट में कमी	ग्राम पंचायत का नाम (ऐसे ग्राम जहाँ पर ज्यादातर बच्चे स्कूल बीच में छोड़ देते हो)	- ग्राम सभा की स्थाई समिति की बैठक कर ऐसे परिवारों की चिन्हित करे, प्राथमिक शिक्षा को बीच में ही छोड़ देने वाले बच्चों की सूची तैयार एवं संबंधी जानकारी एकत्रित करना एवं ग्राम के समक्ष रखना -ग्राम सभा क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा को बीच में ही छोड़ देने वाले बच्चों के परिवारों के साथ बैठक कर वैसे बच्चों की शिक्षा पुन: शुरू कराने के लिए प्रोत्साहित कर,आवश्यक कदम उठाना		

			-फिल्म के माध्यम से शिक्षा की महत्ता समझाना		

समूह अध्यक्ष का नाम

समूह सदस्यों के नाम:

उपविषय	उद्देश्य	प्रशिक्षण का तरीका	समयावधि
शिक्षा के मुख्य बिंदु	मुख्य बिंदु याद रखें-	एक्शन points : ग्राम सभा व् ग्राम पंचायत की स्थाई समितियों को जिवंत बनाना, नियमित रूप से प्राथमिक विद्यालय एवं आंगनवाडी का निरिक्षण करना एवं रिकॉर्ड रख रखाव,	10 मिनट्स

पंचायत के प्रतिनिधियों को बच्चों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है

- आपके पंचायत में स्थित बच्चे क्या करते हैं?
- क्या 6 से 14 वर्ष के बच्चे स्कूल जा रहे हैं?
- क्या कोई बच्चा व् बच्ची स्कूल के समय सड़कों पर खेलते हुए, वह खेत, घर, दूकान, होटल व् अन्य जगहों पर मजदूरी करते तो नहीं दिख रहे हैं?
- विशेष कर लड़कियां घरों में कैद तो नहीं हैं?
- क्या उनसे कोई ज्यादती तो नहीं हो रही है?
- क्या उनके माता-पिता उनको पढ़ने के बजाय उनकी शादी करने की तो नहीं सोच रहे हैं?
- **पंचायती राज संस्थाओं को आगे आकर अपने कार्य एवं अधिकारों को समझना होगा**
- ग्राम पंचायत विद्यालयों का एक रजिस्टर तैयार करेगी.
- जिसमे मानव संसाधन तथा सुविधाओं का जिक्र करेगी.
- सर्व शिक्षा अभियान के प्रबंधन समिति के साथ योजना निर्माण करेगी.
- जरूरत हो तो विद्यालय के लिए जमीन खोजेगी.
- स्कूल भवन बनाएगी तथा उसका संरक्षण करेगी.

चुनौतियाँ :

- कानून लागू करना मुश्किल है
- नक्सली हमलों के चलते जहाँ स्कूलों में पुलिस कैंप लगे रहतें है..
- लड़कियों की सुरक्षा.
- नक्सलियों के चंगुल में बच्चे न फंसे.
- हाशिये में स्थित बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं
- बच्चे विशेषकर लड़कियां काम के बहाने बाहर भेज दी जा रही है.